

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर

पत्रांक:-  
सेवा में,

1247/आर0एस0एल0ए0

दिनांक:- 17/6/17

जिलाधिकारी  
रामपुर।

विषय:-

जनपद रामपुर में रामपुर शाहबाद (अन्य जिला मार्ग-53) मार्ग के कि०मी० चौ० 5.383 के ग्राम रायपुर के गाटा नं०-318/1 तहसील सदर जिला रामपुर पर रिटेल आउट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बंध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक- 209/जे०ए०-2 दिनांक 17.12.2016 एवं मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि० मुरादाबाद के पत्र सं०- 3434/154काम-मु०क्षे०/17 दिनांक 02.06.2017

महोदय,

आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि० मुरादाबाद के द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02.06.2017 से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया है प्रकरण मूल में संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-

- 1 - साइड प्लान 1
- 2 - अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त लो०नि०वि०, रामपुर का पत्र सं०- 1483(1)/51काम-रा०वृत्/17 दिनांक 26.05.2017 की छायाप्रति।

पत्रांक:-

/आर०एस०एल०ए०

प्रतिलिपि -

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०  
रामपुर  
दिनांक:-

1. मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लो०नि०वि० मुरादाबाद को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त लो०नि०वि०, रामपुर को उनके पत्र सं०- 1483(1)/51काम-रा०वृत्/17 दिनांक 26.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

शील कृष्ण धवन  
प्रबन्धक (रिटेल सेल्ल)  
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (एम.डी.)  
बरेली मंडल कार्यालय  
35-ए, सिविल लाईन्स कमला नेहरू मार्ग  
बरेली-243001 (उ०प्र०)

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
रामपुर

# कार्यालय मुख्य अभियन्ता मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद ।

पत्रांक :-3434/154काम-मु0क्षे0/17

दिनांक- 2-6-17

अधिशायी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,  
रामपुर ।

विषय :- जनपद रामपुर में रामपुर-शाहबाद मार्ग (अन्य जिला मार्ग-53) मार्ग के कि0मी0 चौ0 5.383 के ग्राम रायपुर के गाटा नं0-318/1 तहसील सदर, जिला रामपुर पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर के पत्रांक-1483(1)/51काम-रा0वृत्त/17 दिनांक 26.05.2017

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर के संदर्भित पत्र द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तों के तारतम्य में जनपद रामपुर में रामपुर शाहबाद मार्ग (अन्य जिला मार्ग-53) मार्ग के कि0मी0 चौ0 5.383 के ग्राम रायपुर के गाटा नं0-318/1 तहसील सदर, जिला रामपुर पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित करने हेतु इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, बरेली को निम्न शर्तों के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है :-

- 1- मानचित्र मानक के अनुसार बने है ।
- 2- प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ।
- 3- आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा -13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा ।
- 4- प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है ।
- 5- प्रस्तावित स्थल रामपुर शाहबाद मार्ग, अन्य जिला मार्ग-53 के कि0मी0 चौ0 5.383 से 5.418 के मध्य स्थित है ।
- 6- प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है ।
- 7- रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 1.00 किमी0 की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है ।
- 8- बफर स्ट्रिप 12.00 मी0 लम्बाई एवं 03 मी0 चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई 11.50 मी0 है ।
- 9- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0-12-2009 के अनुसार किया जाये ।
- 10- आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 32.30 मी0, पम्प 41.00 मी0, 47.00 मी0 एवं भवन निर्माण 51.50 मी0 की दूरी पर नक्शे में प्रदर्शित है ।
- क- आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च से मान चित्रानुसार ओपन ड्रेन(नाली) एवं दोनो ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0, की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा । 10 वर्षों के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है एग्रीमेन्ट की फीस समक्ष अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करायी जायेगी । प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है ।
- ख- आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात् मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये ।
- ग- आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षा पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में पेट्रोल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिए एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा ।
- घ- फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.30 मी0 नीचा रखा जायेगा ।
- 11- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईट खन्ती में 1.00 मी0 चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाईप के कैटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधा पूर्वक रोड साईट ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें । किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द न किया जायेगा । साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये ।

- 12- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो0नि0वि0 मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0- 13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
- 13- बफर स्ट्रिप के पास ग्रीन हैजिज की ऊँचाई 60 सेमी0 से ऊपर न रखी जाये।
- 14- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो0नि0वि0, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य प्रस्तावित मानचित्र दर्शित दूरियों को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
- 15- प्रस्तावित स्थल के ऊपर 100 मी0 दोनों ओर कोई रोड क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए।
- 16- यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 17- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने के पूर्व आवेदक को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि, रामपुर से लाईसेंस डीड एक्जीक्यूट कराना आवश्यक है।
- 18- भू-स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- 19- लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो आवेदक को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0/एन0एच0-33023-19 /99-डी0ओ0 तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाईडलाईनों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

संलग्न:- 1-मानचित्र दो प्रतियों में।


2-एनक्जर-I,II एवं चैक लिस्ट मूल में।

3-भू0स्वामित्व की खतौनी/सेल डीड की छायाप्रति।

4-लीज डीड एग्रीमेन्ट मूल में।

5-अधी0अभि0, रामपुर का पत्र सं0-1483(1)/

51काम-रा0वृत्त/17 दि0 26.05.2017 के पत्र की छाया प्रति।

  
(के0के0 सिंह राठौर)  
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर उनके पत्र दिनांक 26.05.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता  
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,  
मुरादाबाद।

  
शीला कुलकर्णी धवन  
प्रबन्धक (रिटेल सेल)  
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (एम.डी.)  
बरेली मंडल कार्यालय  
35-ए. सिविल लाईन्स कमला नेहरू मार्ग  
बरेली-243001 (उ०प्र०)

पत्रांक:- 1483(1)/51काम-रा0वृत्त/17

दिनांक:- 26/05/2017

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,  
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,  
मुरादाबाद।

जनपद रामपुर में रामपुर शाहबाद मार्ग (अन्य जिला मार्ग-53) मार्ग के किमी0 चै0 5.383 के ग्राम रायपुर के गाटा नं0-318/1 तहसील सदर, जिला रामपुर पर रिटेल आउट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

आपका पृष्ठांकन सं0- 1255/154काम-मु0क्षे0/17 दिनांक 17.03.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड रामपुर ने पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के सामने मार्ग की स्थायी भूमि 18.50 मीटर सड़क की मध्य रेखा से एक ओर प्रमाणित की जाती है। तथा आवेदक द्वारा सड़क की मध्य रेखा से एक ओर 32.30 मीटर की लम्बवत दूरी पर रिटेल आउटलेट को स्थापित करने की अनुमति चाही है।


अतः अधि0 अभि0 की संस्तुति के आधार पर एवं उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के नियम-6(1) में निहित प्राविधानों के अनुसार मार्ग की मध्य रेखा से 32.30 मीटर की लम्बवत दूरी पर प्रस्तावित निर्माण की अनुमति दिये जाने की संस्तुति मानचित्र में अंकित निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ की जाती है। यह मार्ग यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के अन्तर्गत नोटिफाईड मार्ग है।

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने हैं।
  2. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
  3. आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा - 13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
  4. प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।
  5. प्रस्तावित स्थल रामपुर शाहबाद मार्ग, अन्य जिला मार्ग-53 के किमी0 चै0 5.383 से 5.418 के मध्य स्थित है।
  6. प्रस्तावित निर्माण स्थल कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
  7. रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिए 1.00 किमी0 की दूरी पर सर्विस बेरियर नहीं है।
  8. बफर स्ट्रिप 12.00 मी0 लम्बाई एवं 03 मी0 चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई 11.50 मी0 है।
  9. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0-12-2009 के अनुसार किया जाये।
  10. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य मार्ग की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 32.30 मी0, पम्प 41.00 मी0, 47.00 मी0 एवं भवन निर्माण 51.50 मी0 की दूरी पर नक्शे में प्रदर्शित है।
- (क) आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मानचित्रानुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 10 वर्षों के लिए लीज डीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है प्रार्थी का लीज डीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।
- (ख) आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध उत्पन्न न होने पाये।
- (ग) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षा के पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग की सतह पर नहीं आना चाहिए एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।

- (घ) फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.30 मी० नीचा रखा जायेगा।
11. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण लो०नि०वि० विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइड खन्ती में 1 मी० चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाइप के कैटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सु एवं सुविधापूर्वक रोड साइड ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा नाली/नाले को बन्द न किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा सड़क पर न आने पाये।
  12. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो०नि०वि० मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुढे आई०आर०सी० 13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
  13. बफर स्ट्रिप के पास ग्रीन हैजिज की ऊंचाई 60 सेमी से ऊपर न रखी जाये।
  14. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो०नि०वि० मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शों के अनुस किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य प्रस्तावित मानचित्र दर्शित दूरि को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
  15. प्रस्तावित स्थल के ऊपर 100 मी० दोनों ओर कोई रोड क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए।
  16. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो, तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमा पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
  17. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने से पूर्व आवेदक को अधिशासी अभियन्ता, निर्मा खण्ड लो०नि०वि० रामपुर से लाईसेंस डीड कराना आवश्यक होगा।
  18. भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, जिसका सत्यापन राजस्व विभाग कराना आवश्यक होगा।
  19. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु गम्प आदि को शिप करने की आवश्यकता हुई तो आवेदक को अपने खर्च पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिए किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर०उब /एन०एच०-33023-19/99-डी०ओ० तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी ग राइडलाईनों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।


संलग्नक:-

1. मानचित्र दो प्रतियाँ मूल में।
2. एनेक्जर-I,II एवं चैक लिस्ट मूल में।
3. भूस्वामित्व की खतौनी/सेल डीड की छायाप्रति।
4. लीज डीड एग्रीमेन्ट मूल में।
5. जिलाधिकारी, रामपुर के संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

  
 26/5/17  
 (महमूद आलम)  
 अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ ए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,  
 रामपुर वृत्त, लो०नि०वि०, रामपुर।

  
**शील कुमार धवन**  
 प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)  
 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (एम.डी.)  
 बरेली मंडल कार्यालय  
 35-ए, सिविल लाईन्स कमला नेहरू मार्ग  
 बरेली-243001 (उ०प्र०)